2-11-23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। वकुलाप उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व नजीरो का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का मुख्य कथन यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2022 को गैर सायलान सोनी व सीताराम की तामिल मानकर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है जबकि सोनी व सीताराम का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा सोनी व सीताराम की तामिल के नोटिस पत्रावली पर नही है। जिससे कि इस कथन की पुष्टि होती हो। परन्तु सोनी व सीताराम की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी एवं एक पक्षीय कार्यवाही बाद में कि गई है। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में चाही गई सहायता के अनुसार किसी प्रकार का रास्ता विधमान नही है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर मे भी प्रकरण विचाराधीन है जिसमे स्थगन नही है।

इसी अनुसार वकील अप्रार्थी का मुख्य कथन है कि खाता विभाजन आदेश से भरा गया [illegible] सं. 12 [illegible] दिनांक 26.6.19 के बाद मौके पर [illegible] हेतु रास्ता खातेदारो द्वारा [illegible] के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:43 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त रास्ते को सकड़ा कर दिया जिस हेतु तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था एवं अतिक्रमण हटवाया था। अपीलान्ट द्वारा तथ्य छुपाकर कार्यवाही कि है। रास्ता मौके पर आज भी चालू है। जिसका उपयोग आज भी ग्रामीणजन भी कर रहे है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो पेश किये है उनसे यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट की अपील खारीज कि जाकर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय यथावत रखा है। इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा जो तथ्य बताये गये है वो दोनो के तथ्य आपस में विरोधाभाषी है। जब तक पत्रावली पर सभी तथ्य व दस्तावेज नही आ जाते तब तक न्यायपूर्ण निर्णय नही हो पाता। इस आधार पर प्रकरण में पूर्ण सुनवाई एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज होने पर ही अन्तिम निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है जो अपील में होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.11.22 को पारित अन्तरिम टी॰ आई आदेश ताडौराने अपील कन्फर्म किया जाकर मूल अपील के निर्णय तक उभय पक्ष को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौके व रिकार्ड कि यथास्थिति ~~बनाये~~ बनाये रखे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2024.02.24 11:08:47 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना	